संख्या- 03/2022/509/22-4-2021-48(8)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 06 जनवरी, 2022

विषय- जिला कारागार, मथुरा एवं आगरा में टाईप-2 के 12-12 नग आवासों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11614/नम-3/2021-22, दिनांक-13.05.2021 एवं प्रश्नगत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-72/2021/287/22-4-2021-48(8)/2021, दिनांक-31 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक-31 मार्च, 2021 द्वारा जिला कारागार, मथुरा एवं आगरा में टाईप-2 के 12-12 नग आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 403.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 201.96 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। कारागार मुख्यालय की सूचना अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक-31 मार्च ,2021 को सांयकाल प्राप्त होने के कारण शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका। प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1090/22-4-2020-48(8)/18, दिनांक-31 दिसम्बर, 2020 में यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला कारागार, मथुरा एवं आगरा में टाईप-2 के 12-12 नग आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु विषयक शासनादेश संख्या-72/2021/287/22-4-2021-48(8)/2021, दिनांक-31 मार्च, 2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु रू0 403.93 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु लागत की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,01,96,000/- (रूपया दो करोड़ एक लाख छियानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	जिला कारागार मथुरा	टाईप-2 के 12 नग आवासों का निर्माण	204.35	102.17
2	जिला कारागार आगरा	टाईप-2 के 12 नग आवासों का निर्माण	199.58	99.79
		योग-	403.93	201.96

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020 एवं 29.09.2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(10) निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन:आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए।

(11) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(12) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यो हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें चूँकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) महानिरीक्षक, कारागार सुनिश्चित हो लेंगे की शासनादेश दिनांक-31 मार्च, 2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-3452 /दस/2021-22, दिनांक-05.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-03 /2022/509(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मथुरा/आगरा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा/आगरा।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in